Phone : 23710519
Fax : (91-11) 23730937, 23730682
E-mail : cvo@csir.res.in

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद्

अनुसंधान भवन, 2, रफ़ी मार्ग, नई दिल्ली - 110001

COUNCIL OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH

Anusandhan Bhawan, 2, Rafi Marg, New Delhi - 110001

दिनांक: 23 अगस्त, 2018

संख्या No. सं.15-43(39)/2017-विज.

स्पीड REGISTERED POST

प्रेषक From
मुख्य सतर्कता अधिकारी
Chief Vigilance Officer

To

सभी राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/संस्थानों के निदेशक/प्रमुख

विषय: सीएसआईआर अतिथि गृहों में रहने एवं एचआरए (HRA) के भुगतान सम्बन्धी ।

महोदय/महोदया,

यह संज्ञान में लाया गया है कि सीएसआईआर के पदधारी नए स्थानों पर अपने स्थानांतरण/तैनाती पर लगातार अतिथि गृह में रहते हैं और साथ में उक्त अवधि के लिए मकान भत्ता भी आहरित करते हैं जोकि इस विषय से संबंधित नियमों का उल्लंघन है । अत: आपसे अनुरोध है कि मकान भत्ता के भुगतान से संबंधित नियमों और सीएसआईआर के दिनांक 07.08.2014 के कार्यालय ज्ञापन सं.8-3(1)/2014-सा. का पूरी तरह से अनुपालन करें । इस संबंध में किसी भी उल्लंघन पर गंभीरता से विचार किया जा सकता है ।

इसके अतिरिक्त, उक्त अनुदेश अपनी प्रयोगशाला/संस्थान के सभी स्टाफ सदस्यों की सूचना, मार्गदर्शन एवं अनुपालन हेतु भी संज्ञान में लाएं ।

भवदीय,

(मेजर राणा विक्रम सिंह)
मुख्य सतर्कता अधिकारी

प्रतिलिपि:

1. सीएसआईआर मुख्या. और सीएसआईआर कॉम्प्लेक्स के वरि. उप सचिव/उप सचिव/अवर सचिव
2. सभी प्रयोगशालाओं/संस्थानों के वरिष्ठ प्रशा. नियंत्रक/प्रशासन नियंत्रक/प्रशासनिक अधिकारी
3. महानिदेशक, सीएसआईआर के अवर सचिव
4. संयुक्त सचिव (प्रशा.), सीएसआईआर के निजी सचिव
5. वित्त सलाहकार, सीएसआईआर के निजी सचिव
6. आईटी प्रभाग, सीएसआईआर मुख्या.- इस अनुरोध के साथ कि इस परिपत्र को सीएसआईआर की वेबसाइट पर अपलोड करें
7. कार्यालय प्रति

P.T.O →

Phone : 23710519
Fax : (91-11) 23730937, 23730682
E-mail : cvo@csir.res.in

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद्

अनुसंधान भवन, 2, रफ़ी मार्ग, नई दिल्ली - 110001

COUNCIL OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH

Anusandhan Bhawan, 2, Rafi Marg, New Delhi - 110001

संख्या
No. 15-43(39)/2017-Vig.

Date: 23 August, 2018

प्रेषक
From
मुख्य सतर्कता अधिकारी
Chief Vigilance Officer

To

The Directors/Heads of all the National Labs./Instts.

Subject: Stay at CSIR guest houses and payment of HRA – Reg.

Sir/Madam,

It has been brought to the notice that CSIR officials on their transfer/posting at new places continue to stay at guest house and also draw HRA simultaneously for the said period which is in violation of the rules on the subject. Therefore, you are requested to follow the rules relating to payment of HRA and CSIR Office Memorandum No. 8-3(1)/2014-Gen dated 07/08/2014 in its letter and spirit. Any violation in this regard may be viewed seriously.

Further, the above instructions may also be brought to the notice of all staff members in your Lab./Institute for information, guidance and compliance.

Yours faithfully,

(Major Rana Vikram Singh)
Chief Vigilance Officer

Copy to:
1. Sr. DS/DS/US of CSIR Hqrs and CSIR Cx.
2. Sr. COAs/COAs/AOs of all the Labs/Instts.
3. US to DG, CSIR.
4. PS to JS(Admn.), CSIR.
5. PS to FA, CSIR
6. IT Division, CSIR Hqrs. – with a request to post the circular on CSIR website.
7. Office copy